

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक  
पीठासीन अधिकारी-

शिव चरण मीना  
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

44 / 2022 / प्रा.पत्र / 2022

01.07.2022

27.07.2023

डॉ. मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
टोंक

.....आवेदक

बनाम

1-श्री भीष्म कुमार सिन्धी पुत्र श्री किशन चन्द सिन्धी एफ.बी.ओ. मैसर्स वासुदेव किशन चन्द  
सबील शाह की चौकी कोटा रोड टोंक जिला टोंक निवासी प्लॉट नं. 86 पार्क प्लाजा सिटी  
अग्रवाल हॉस्पिटल के पास टोंक

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित-

1-पेरोकार सरकार।

2-अप्रार्थी एवं उनके अभिभाषक श्री विक्रम जैन उप.।

: - निर्णय - :

दिनांक 27.07.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक  
09.03.2022 को समय 11:31 पी.एम पर मैसर्स वासुदेव किशन चन्द सबील शाह की चौकी कोटा  
रोड टोंक जिला टोंक पर पहुँचा। वहाँ पर श्री भीष्म कुमार सिन्धी पुत्र श्री किशन चन्द सिन्धी मिला,  
को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री भीष्म कुमार सिन्धी ने स्वयं को  
प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया एवं खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा पत्र  
दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में  
भ्राम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थ के साथ प्रोसेस्ड बेटल नट स्वीट सुपारी मैरी  
ब्राण्ड (Processed Betul Nut Sweet Supari Marie Brand) 100-100 ग्राम के 41 नग प्लास्टिक के  
कट्टे में रखे हुए थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण  
करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री भीष्म कुमार सिन्धी को फार्म न. 5ए दो  
प्रतियों में नियमानुसार भरकर विक्रेता को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर  
करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ  
सुपुर्द कर बताकर कि यह प्रोसेस्ड बेटल नट स्वीट सुपारी मैरी ब्राण्ड (Processed Betul Nut Sweet  
Supari Marie Brand) 100-100 ग्राम के 20 नग खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नोटा देकर  
रसीद प्राप्त की।



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक



हमने अभिभाषक अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया प्रोसेस्ड बेटल नट स्वीट सुपारी मैरी ब्राण्ड (Processed Betul Nut Sweet Supari Marie Brand) का नमूना जांच में मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 10,000/- (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 27.07.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.07.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(शिव चरण मीना)  
न्याय अधिकारी  
अतिरिक्त जिला न्यायालय  
टोंक-राज0